न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 333/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
किरणकुमार पुत्र रतनसिह जाति राव निवासी बुडकिया तहसील भोपालगढ हाल निवासी वीजापुर जिला मैसाणा (गुजरात)		1– रोमन विजयकुमार पुत्र विजयकुमार 2– हेमन्त विजयकुमार पुत्र विजयकुमार के कायम मुकाम– 2.1–शिवकुमार पुत्र स्व0 हेमन्त विजयकुमार 2.2–पुनुर पुत्री स्व0 हेमन्त विजय कुमार 2.3–किष्णा पुत्री स्व0 हेमन्त विजय कुमार 3– मालती विजयकुमार पुत्री विजयकुमार 4– सरला बेन पत्नी विजय कुमार सभी जातियान राव निवासीगण विजयकुमार ब्रम्हभट्ट 1296 श्यामला की पोल रायपुर अहमदाबाद (गुजरात) 5– कोकिला बेन पुत्री रतनसिह राव निवासी अशोक कुमार एस बारोट 2301 बुडवाड एस.टी.एपी.टी/1सी1/15 फीला डेलफिया एपी 19115 यू.एस.ए. 6– हंसाबेन पुत्री रतनसिह जाति राव निवासी रजनीकात आर ब्रहभट्ट 1296 कालीन्द्री बंगलोज गुलाब टावर के पास, थलतेज अहमदाबाद (गुजरात) 7– दिलीप कुमार पुत्र रतनसिह जाति राव निवासी हाल ठि0 बीजापुर बंगला नंबर 8 सीटी पार्क, नवरंग सोसाईटी के पास, बुद्धिसागर मंदिर के पास, तहसील बीजापुर जिला मेसाला, (गुजराज) 8– चारूबेन पुत्री रतनसिह जाति राव ए/102 तिर्थक बंगलोज हाल निवास बागोडिया, डभोई रिंगरोड श्री कुबरेश्वर महादेव मंदिर मार्ग, निलाम्बर 3 बेंगलोज के पीछे बडोदा 25 गुजराज पिन नंबर 390019 9– हेमाबेन पुत्री रतनसिह जाति राव निवासी हाल बडौदा प्रेमशरण बाबूलाल बारोठ बंगला नंबर 93 निलाम्बर वीला, कुबरेश्वर मार्ग, बागोरिया डबोई रींगरोड, बडौदा गुजरात पिन नंबर 390025 10–नीता बेन पुत्री रतनसिह जाति राव निवासी दिलीप कुमार राव 21/बी दुदेश्वर सोसाईटी आजवा रोड बरोडा (गुजरात)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 28–10–2016 जो प्रकरण संख्या 3/2016 मे तहसीलदार भोपालगढ द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– रेस्पो0 गण बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 25–11–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष ग्राम बुडकिया के नामांतरकरण संख्या 947 जिसे ग्राम पंचायत

बुडकिया द्वारा दिनांक 5–7–2010 को स्वीकृत किया गया था, के विरूद्ध इस आशय की प्रथम अपील पेश की थी कि ग्राम बुडकिया तहसील भोपालगढ स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 316, 317, 318, 318/1, 319, 320, 321, 323, 324 तथा खसरा नंबर 1171 की भूमि अपीलांट के पिता रतनसिह पुत्र बच्छराज कौम राव के खातेदारी की थी । अपीलांट के पिता रतनसिह का देहांत दिनांक 7–3–85 को हो जाने पर उनके खाते की भूमि का नामांतरकरण उनके सभी विधिक वारिसान के नाम स्वीकार कर दिया था जबकि उक्त भूमि केवल अपीलांट के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी । उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अपने निर्णय दिनांक 25–1–2016 के द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुए मौजा बुडकिया का नामांतरकरण संख्या 947 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को रिमाण्ड कर निर्देशित किया कि वे स्व0 रतनसिह के विधिक वारिसानो को पूर्ण साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण की सघन एवं विधिक प्रावधानो के अनुसार जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे । उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–1–2016 की पालना मे तहसीलदार भोपालगढ ने धारा 135 (2) एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 3/2016 दर्ज कर अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किये गये परंतु अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल करवाये बिना ही तहसीलदार भोपालगढ ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–10–2016 के द्वारा स्व0 रतनसिह के खातेदारी की भूमि का उसके स्थान पर विधिक वारिसान के नाम म्युटेशन दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है । इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0 गण को नोटिस जारी किये गये । जिस पर रेस्पो0 संख्या 2 के नोटिस पर उसके फोत होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलांट अधिवक्ता ने उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 153 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया जिसे आदेशिका दिनांक 7–6–2017 से स्वीकार करते हुए बतौर रेस्पो0 संख्या 2.1 से 2.3 बनाया गया तथा समस्त रेस्पो0 के सम्मन अन्य प्रान्त के होने से रजिस्टर्ड ए.डी.जारी किये गये जिनकी रजिस्टर्ड ए.डी. प्राप्त होने पर पर्याप्त तामिल माना गया । पत्रावली मे रेस्पो0 संख्या 1, 3 व 4 की ओर से वकालातनामा गुजरात के अधिवक्ता का पत्रावली मे उपलब्ध अवश्य है परंतु वे पैरवी हेतु न्यायालय मे उपस्थित नही हो रहे है, अन्य रेस्पो0 की ओर से भी कोई उपस्थित नही होने पर अपीलांट अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई ।

वकील अपीलांट उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को अपनी बहस का अंग सुमार करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भोपालगढ ने उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–1–2016 की पालना किये बिना ही जल्दबाजी मे बिना पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि तहसीलदार भोपालगढ को उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के रिमाण्ड आदेश की हु–ब–हु पालना करते हुए सभी पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था तथा अपीलांट अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका

दिनांक 9–9–2016 की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि पत्रावली रेस्पो0 के नोटिस तामिल मे चल रही थी तथा उक्त आदेशिका मे रेस्पो0 के नोटिस अदम तामिल प्राप्त होने का उल्लेख होते हुए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश करते हुए आगामी पेशी दिनांक 28–10–2016 को अपीलाधीन निर्णय ही पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ फार्म नंबर 3 के सलंग्न दस्तावेजात पेश किये है जिनमे अपील मे वर्णित पक्षकारो के बीच गुजराज राज्य के बिजापुर के सिविल न्यायालय मे मृतक खातेदार रतनसिह की सम्पति के संबंध मे बंटवाडे का दावा जिसके रेगलर दिवानी मुकदमा संख्या 67/2010 अनवान राव दिलीपकुमार पुत्र रतनसिह बनाम किरणकुमार रतनसिह राव एवं अन्य जो दिनांक 29–4–2013 को खारीज हो चुका था । इसी प्रकार मृतक रतनसिह के वारिसान द्वारा मृतक रतनसिह की अचल सम्पति के संबंध मे अपीलांट किरण कुमार के पक्ष मे लिखी गई कन्सेन्ट डीड जिस पर सभी के हस्ताक्षर है आदि की ओर ध्यान दिलाते हुए अपीलांट अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भोपीलगढ द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाये तथा माफिक सिविल न्यायालय के दावे मे निर्णय एवं अपीलांट के पक्ष मे मृतक रतनसिह के वारिसान द्वारा लिखी गई सहमति पत्र के माफिक ग्राम बुडकिया के अपीलाधीन म्युटेशन मे वर्णित भूमि का नामांतरकरण अपीलांट के नाम स्वीकृत करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा पारित निर्णय जिसके द्वारा प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को रिमाण्ड किया गया, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भोपालगढ की रिमाण्ड प्रकरण की पत्रावली, आदेशिकाएं तथा तहसीलदार भोपालगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–10–16 तथा इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत वर्तमान अपील के सलंग्न दस्तावेजात आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भोपालगढ की पत्रावली एवं आदेशिका के अवलोकन से यह प्रकट है कि तहसीलदार ने रेस्पो0 के सम्मन तामिल हुए बिना ही तथा उन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय जल्दबाजी मे पारित किया जाना प्रतीत होता है, जो समर्थन योग्य नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

वर्तमान अपील के साथ फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह प्रकट है कि मृतक खातेदार रतनसिह की बीजापुर एवं राजस्थान स्थित अचल सम्पति जो कि दिनांक 22–1–86 के दस्तावेज के आधार पर अपीलांट किरणकुमार के नाम दिनांक 11–2–86 को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो चुकी थी । उक्त इन्द्राजात को निरस्त करवाने बाबत वर्तमान रेस्पो0 संख्या 7 दिलीप कुमार ने दिवानी वाद संख्या 67/2010 अनवान राव दिलीपकुमार पुत्र रतनसिह बनाम किरणकुमार रतनसिह राव एवं अन्य प्रस्तुत किया गया था जो वाद दिनांक 29–4–2013 को खारीज हो चुका था तथा

उक्त वाद का निर्णय करते समय दिवानी न्यायालय ने दिनांक 22–1–86 के दस्तावेज को मान्यता देते हुए वाद बिन्दु का निर्णय किया तथा मूल वाद को निर्णित करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि दिनांक 22–1–86 के दस्तावेज से बीजापुर एवं राजस्थान की जायदाद मे केवल वर्तमान अपीलांट किरण कुमार को ही सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होने से उसके हिस्से मे ही रखी गई । चूँकि पक्षकारो के बीच मृतक अचलसिह की बीजापुर एवं राजस्थान स्थित सम्पति का बंटवाडा हो चुका था तथा उक्त बंटवाडे मे बीजापुर एवं राजस्थान स्थित सम्पति केवल किरण कुमार के हिस्से मे रखी गई तथा उक्त सम्पति के संबंध मे सिविल न्यायालय द्वारा भी निर्णय पारित किया जा चुका है, जो अंतिम है ।

इसके अलावा अपील के साथ फार्म नंबर 3 के सलंग्न कन्सेन्ट डीड के दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये गये है जिसमे पक्षकारान के पिता राव रतनसिह का देहांत दिनांक 7–3–85 को होना तथा उनकी बीजापुर एवं राजस्थान स्थित सम्पतियो के संबंध मे मृतक रतनसिह के पुत्र एवं पुत्रियों ने अपीलांट किरणकुमार पुत्र रतनसिह के पक्ष मे दिनांक 22–1–86 को हकतर्क करना तथा उसे स्वीकार करना बताया है ।

वर्तमान प्रकरण मे यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि वर्तमान अपील मे किसी भी रेस्पो0 ने उनके नोटिस तामिल के बावजुद इस न्यायालय मे उपस्थित होकर दिनांक 22–1–86 के दस्तावेज के निष्पादन बाबत कोई विवाद नही किया है, ऐसे मे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 947 ग्राम बुडकिया मे वर्णित कृषि भूमि का इन्द्राज भी दिनांक 22–1–86 की लिखत के अनुसार अपीलांट किरण कुमार के नाम दर्ज करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भोपालगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–10–2016 एवं ग्राम पंचायत बुडकिया द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 947 दिनांक 5–7–2010 दोनो ही निरस्त किये जाते है तथा उक्त नामांतरकरण संख्या 947 ग्राम बुडकिया मे वर्णित कृषि भूमि के संबंध मे नामांतरकरण मृतक रतनसिह के वारिसान की दिनांक 22–1–86 की सहमति के अनुसरण मे अपीलांट किरणकुमार पुत्र रतनसिह राव के नाम स्वीकृत करने के निर्देश तहसीलदार भोपालगढ को दिये जाते है ।

निर्णय आज दिनांक 25–11–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2019.11.28 16:03:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: